न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
43 / 2017	04 / 09 / 2017	16 / 12 / 2025

जगदीश पुत्र श्री सुखदेव जाति माली निवासी गोठड़ा कलां तहसील पीपल्दा जि० कोटा राज

वादी,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जि. कोटा

प्रतिवादी

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री श्याम बैरवा एड0।

वाद अन्तर्गत धारा 88.89, 188 आर.टी. एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी जगदीश पुत्र श्री सुखदेव जाति माली निवासी गोठलाकलां तहसील पीपल्दा जि. कोटा राज को वाके माल ग्राम शेरगढ़ तह पीपल्दा जि०कोटा राज से साबिक ख.नं. 365 की रकबा 15 बीघा कृषि भूमि दिनांक 22.12.1975 को मि0नं0 318 से वादी को कीमत 750 रूपये मात्र मे आवंटित की गई, आवंटन शुदा भूमि 15 बीघा की कीमत 750 में से वादी द्वारा 50 रू. अदारे तीन सौ पचास रुपये मात्र दिनांक 22.12.1975 को बुक नं. 144431 रसीद संख्या 63 से राजकोष में जमा करवा दिया गया बयाद जमा राशि हल्का पटवारी आवंटन शुदा भूमि पर मौके पर जाकर कब्जा संभला दिया, तब से वादी आबंटी उक्त कृषि आराजी पर निर्वाध रूप से शांति पूर्ण काबिज काश्त चला आ रहा है। बाद सेटलमेंट वादी का आवंटन शुदा कृषि आराजी साबिक ख. नं. 36 रकबा 15 बीघा के नवीन नं 161 रकबा 2.47 है. बनाया गया जो वर्तमान से खाता सरकार सिवायचक दर्ज है। वादी आवंटी को आवंटन शुदा भूमि साबिक ख.नं. 36 रकबा 15 बीघा के नवीन नं. 161 रकबा 2.47 है० बनाते समय सिवाय चक दर्ज कर प्रतिवादी के खाते दर्ज कर दिया गया, जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है, जब कि वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि आवंटन शुदा भूमि साबिक नं. 36 रकंबा के नवीन ख.नं. 161 रकबा 2.47 है० पर वादी अपना नाम गैर खातेदार कई राजस्व रिकार्ड करवाने का अधिकार प्राप्त है। वादी आवंटी द्वारा प्रतिवादी को कई मर्तबा उपरोक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड से गैर खातेदारी के रूप में आवंटी के नाम दर्ज करवाने हेतु कहा गया लेकिन उपरोक्त भूमि को वादी आवंटी के नाम आज दिन तक रिकॉर्ड में दर्ज नही किया गया एवं अंतिम बाद दिनांक 15–8–2017 को वादी को संतुष्टि पूर्ण जवाब नही देने पर वादी को श्रीमान के समक्ष उपरोक्त उनवान का वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद पर पेश कर निवेदन किया कि निम्न आशय की डिक्री व आदेश वादी के प्रदान करने की कृपा है कि वाके माल मौजा ग्राम को तहसील पीपल्दा की साबिक ख.नं. 365 रकबा 15 बीघा के आवंटी / वादी का नाम हाल ख.नं. 161 रकबा 2.47 है० पर प्रतिवादी का नाम दुरुस्त कर वादी को गैर खातेदार दर्ज किया जावे।

वादी की ओर से वाद श्री श्याम बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार के अनुसार वर्तमान में उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है। राजकोष में जमा राशि का साक्ष्य वादी स्वयं सिद्ध करे। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सेटलमेंट से पूर्व वादी गैर खातेदारी दर्ज नहीं था। वादी ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 जगदीश, पी0डब्ल्यू0 2 हजारीलाल, पी0डब्ल्य0 3 प्रहलाद पेश किए। वादी ने अपने वाद के समर्थन में वाद पत्र प्रदर्श पी–1, आवंटन पत्रावली प्रदर्श पी–2, नकल मिलान क्षेत्रफल ख0नं0 161 ग्राम शेरगढ प्रदर्श पी–3, नकल जमाबन्दी संवत 2041–60 ख0नं0 161 ग्राम शेरगढ प्रदर्श पी–4, खसरा गिरदावरी संवत 2040–43 ख0नं0 36 ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

शेरगढ प्रदर्श पी–5, नक्शा ट्रेस ख0नं0 161 प्रदर्श पी–6, नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 ख0नं0 161 ग्राम शेरगढ प्रदर्श पी–7 पेश किए।

बहस सुनी गई। बहस के कथनों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिख तहसील रिपोर्ट वादी विवादित आराजी पर काविज काश्त नहीं है तथा सेटलमेंट पूर्व भी वादी को गैर–खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं था। वादी द्वारा भी स्वयं के कब्जे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा साक्ष्य के ग्राम शेरगढ़ में ख.न. 36 की 15 बीघा के जगदीश पुत्र सुखदेव को 22.12.1975 को आवंटन होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया है। स्वयं आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से लिखित है कि आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय संबंधी श्री नियम 1955, राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1956 राजस्थान कोलोनाइजेशन (जनरल कोलोनी) कन्डीशन्स, 1955 और राजस्थान गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अधीन निहित बांध्यताओं, निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन होगी और इन बाध्यताओं, निबन्धनों और शर्तों के भंग होने पर आवंटन किसी भी क्षतिपूर्ति के बिना रद्द हो जायेगा और आवंटित भूमि बिना किसी विल्लगम के राज्य सरकार को प्रत्यवर्तित की जावेगी।

अतः यह संभव है कि वादी ने आवंटन की शर्तों एवं निबंधनों की पालना नहीं की हो। अतः यह स्पष्ट है कि आवंटन आदेश असीमित, शर्तहीन तथा निरंकुश नही था। वादी ने साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया कि वादी किस प्रकार और किस आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी वाद स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
43 / 2017	04 / 09 / 2017	16 / 12 / 2025

जगदीश पुत्र श्री सुखदेव जाति माली निवासी गोठड़ा कलां तहसील पीपल्दा जि० कोटा राज

वादी,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जि. कोटा

प्रतिवादी

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री श्याम बैरवा एड0।

वाद अन्तर्गत धारा 88.89, 188 आर.टी. एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 16.12.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा